न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 67/2017

हेमन्त शर्मा पुत्र विजय प्रकाश शर्मा निवासी थाखा जी की गली ब्रम्ह अखाडे के पास टोडारायसिंह जिला टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

एक ही परिवार द्वारा नियम विरूद्व प्राप्त राशन कार्ड नम्बर 1–109402200202 2–109700700137 3–109701100239 के संबंध मे निम्न प्रमाणित अद्यतन सूचना प्रतिलिपियां भ्रष्टाचार निवारनार्थ लोकहित मे देने की कृपा करे।

1–उपरोक्त तीनो राशनकार्डो के सम्पूर्ण विवरण(परिवार सहित) की प्रतिलिपियां।

2–उपरोक्त राशन कार्डो के आवेदन के समय प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो की प्रतिलिपियां जिनके आधार पर राशन कार्डो का निर्माण हुआ है।

3–उपरोक्त राशन कार्डो के निर्माण से प्राप्त अद्यतन रसद साम्रगी के विवरण की प्रतिलिपियां।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1693 दिनांक 25.10.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 946 दिनांक 07.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र कमांक 910 दिनांक 18.10.2017 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध मे सूचित कर दिया गया है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

सत्यमेव जयते

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक